न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर. ए. एस.)

अनुवान :- लालचन्द आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 211 / 2024

निर्णय दिनांक :- 28/6/24

1. लालचन्द पुत्र चम्पालाल जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. शिशपाल पुत्र मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. हेतराम पुत्र मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषिभूमि खसरा नं. 115 तादादी 6.4995 हैक्टेयर, खसरा नं. 120 तादादी 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नं. 181 तादादी 3.2624 हैक्टेयर, खसरा नं. 292 तादादी 4.6281 हैक्टेयर, खसरा नं. 798 तादादी 10.2172 हैक्टेयर, खसरा नं. 917 तादादी 1.2645 हैक्टेयर, कुल तादादी 26.2511 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। कृषिभूमि खसरा नं. 292 तादादी 4.6281 हैक्टेयर व खसरा नं. 917/295 तादादी 1.2645 हैक्टेयर गांव कोहिणा की रोही में स्थित है उक्त कृषिभूमि के पड़ौसियान हमेशा सींव बाबत प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है । प्रार्थीगण की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित । राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ ।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया । वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कृषिभूमि खसरा नं. 292 तादादी 4.6281 हैक्टेयर व खसरा नं. 917/295 तादादी 1.2645 हैक्टेयर भूमि की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता । प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं ।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अत: स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 292 तादादी 4.6281 हैक्टेयर व खसरा नं. 917/295 तादादी 1.2645 हैक्टेयर रोही कोहिणा तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्हन का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें ।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)